बरगी बांध की डूब में डूबते–उतराते सवाल!!

साथियों, यह साल बड़े बाँधों की 50वीं बरसी का साल है। यह 50वां साल हमें समीक्षा का अवसर देता हैं कि हम यह तय कर सकें कि यह नवीन विकास क्या सचमुच अपने साथ विकास को लेकर आ रहा है या इस तरह के विकास के साथ विनाश के आने की खबरें ज्यादा है। इस पूरी बहस में एक सवाल यह भी है कि यह विकास हम मान भी लें तो यह किसकी कीमत पर किसका विकास है? दलित/आदिवासी या हाशिये पर खड़े लोग ही हर बार इस विकास की भेंट क्यों चढ़ें? आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब ही तलाश रहे हैं बाँध या इस तरह की अन्य विकास परियोजनाओं के विस्थापित एवं प्रभावित लोग ? एक बड़ा वर्ग भी है जो इस तरह के विकास को जायज ठहराने में कही कसर नहीं छोड़ता है क्योंकि इसी विकास के दम पर मिलती है उसको बिजली और पानी लेकिन उनके विषय में सोचने को उसके पास समय भी नहीं है और न ही विश्लेषण की क्षमता।

बड़े बाँधों की 50वी बरसी पर बरगी बाँध की पड़ताल करती चार प्रशान्त दुबे और रोली शिवहरे के 4 आलेखों की श्रृंखला।

कहां गये चावल गेहूं, दलहन–तिलहन के दाने ।
कागज का रुपया रोया, सुनना पड़ता है ताने ।
हर सीढ़ी छोटी पड़ती है, भाव चढ़े मनमाने ।
सबरी कलई उतर गई है, सभी गये पहचाने।
कहां गये चावल गेहूं, दलहन–तिलहन के दाने ।
बाबा नागार्जुन

'विकास के विनाश' का टापू

पूरे देश में राजगार गारंटी की चर्चायें जोरों पर है । इस गांव में भी लोगों के जॉब कार्ड तो हैं लेकिन वे पिछले तीन सालों से कोरे पड़े व्यवस्था को और 'काम के अधिकार' को चिढ़ा रहे हैं। यहां पर आज भी बिजली नहीं है, लोग इस बात से आस बंधा रहे हैं कि खंभे तो आ गये हैं । पिछले 25 वर्षों में दूसरों को बिजली देने के कारण डूबे इन गांवों में आज भी अंधेरा है। यहां पर आजीविका का काई साधन नहीं है, लोग पलायन पर जा रहे हैं। यदि मजदूरी पर जाना भी है तो लोगों को 20 रुपये पहले अपने खर्च करने पड़ते हैं, महिलाओं के पास तो पिछले 25 वर्षों से घर काम के अलावा कोई काम ही नहीं हैं और यही कारण है कि यहां के नवयुवकों यहां से बाहर निकालने के लिये कलेक्टर को पत्र लिखा है। लोग इतने हताश हैं कि रछछू कहते हैं कि सरकार ने हमें डुबा तो दिया है, बस अब एक परमाणु बम और छोड़ दे तो हमारी यहीं समाधि बन जाये। तभी तो है यह विकास के विनाश का टापू।

साहब, इंदिरा गांधी के कहने पर बसे थे जहां पर !! अब आप ही बताओ कि देश का प्रधानमंत्री आपसे कहे कि ऊंची जगह पर बस जाओ, तो बताओ कि आप मानते कि नहीं !!! हमने हां में जवाब दिया जो उन्होंने कहा कि हमने भी तो यही किया। उनकी बात मान ली तो आज यहां पड़े हैं। इंदिरा जी बरगीनगर आईं थीं और उन्होंने खुद आमसभा में कहा था। श्रीमति गांधी ने यह भी कहा था कि सभी परिवारों को पांच–पांच एकड़ जमीन और एक–एक जन को नौकरी भी देंगें । अब वे तो गईं ऊपरे और उनकी फोटो लटकी है, अब समझ में नहीं आये कि कौन से सवाल करें ? का उनसे, का उनकी फोटो से, का जा सरकार से ?? सरकार भी सरकार है, वोट लेवे की दान (बारी) तो भैया, दादा करती है और बाद में सब भूल जाते हैं। फिर थोड़ा रुक–कर कहते हैं पंजा और फूल, सबई तो गये भूल ।। यह व्यथा है जबलपुर जिले की मगरधा पंचायत के बढ़ैयाखेड़ा गांव के दशरु/मिठ्ठू आदिवासी की।

बढ़ैयाखेड़ा इसलिये विशिष्ट हो जाता है क्योंकि इसके तीन ओर से रानी अवंती बाई परियोजना के अंर्तगत् बरगी बांध का पानी भरा है और एक ओर है जंगल। यानी यह एक टापू है । एक एसा टापू जिससे जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिये भी कम से कम 10 किलोमीटर जाना होगा और वह भी नाव से। कोई सड़क नहीं। पानी जो भरा है वहां पर । अगर किसी को दिल को दौरा भी पड़ जाये और यदि उसे जीना है तो उसे अपने दिल को कम से कम तीन घंटे तो धड़काना ही होगा, तब कहीं जाकर उसे बरगीनगर में न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा नसीब हो पायेगी। और वो भी तत्काल किश्ती मिलने पर। सुसाईटी (राशन दुकान) से राशन लाना है तो भी किश्ती और हाट–बाजार करना है तो भी किश्ती। यानी किश्ती के सहारे चल रहा है जीवन इनका। कहीं भी जाओ, एक तरफ का 10 रुपया।

दशरु कहते हैं पहले अपनी खेती थी तो ठाठ से रहते थे। क्या नहीं था हमारे पास । मेरी 10 एकड़ जमीन थी, मकान था, महुए के 15 पेड़, आम के 2 पेड़, सागौन के 5 पेड़, 18 मवेशी थे। दो फसल लेते थे। जुवार, बाजरा, मक्का, तिली, कोदो, कुटकी, धान, समा, उड़द, मूंग, राहर, अलसी, गेहूं, चना, सरसों, बटरा और सब्जी भाजी जैसी कई चीजें। नमक ओर गुड़ के अलावा कभी कुछ नहीं लिया बाजार से हमने । तेल तक अपना पिरवा लेते थे हम । अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि शिवरात्रि पर भोले को चढ़ने वाली गेहूं की बाली भी दूसरे गांव से लाते हैं !!!! पहले चना महुआ का तो भोजन था साहब !! पर आज तो सुसाईटी से 20 किलो लात हैं और आधो–दूधो (आधे पेट) खात हैं। उसमें भी आने–जाने के किश्ती से 20 रुपये लगते हैं और कहीं उस दिन दुकान नहीं खुली तो राम–राम।

ज्ञात हो कि रानीं अवंतीबाई परियोजना अंर्तगत् नर्मदा नदी पर बने सबसे पहले विशाल बांध बरगी से मंड़ला, सिवनी एवं जबलपुर जिले के 162 गांव प्रभावित हुये हैं और जिनमें से 82 गांव पूर्णतः डूबे हुये हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7000 विस्थापित परिवार हैं, इनमें से 43 प्रतिशत आदिवासी,12 प्रतिशत दलित, 38 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 7 प्रतिशत अन्य हैं। जबकि बरगी बांध विस्थापित एंव प्रभावित

संघ की मानें तो 10 से 12 हजार परिवार विस्थापित हैं। दशरु का बढैयाखेड़ा भी जबलपुर जिले का पूर्ण डूब का गांव है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां पर 25 परिवार हैं परन्तु अब यहां पर 42 परिवार हैं।

माहू ढ़ीमर, जो अपने आपको गांव का कोटवार मानते हैं, बताते हैं कि हमारे गांव का खेती की जमीन का रकबा 1600 एकड़ का था और अब तो चारों तरफ मैया ही मैया है यानी पानी ही पानी है। हमारे जंगल कहां गये ?? पानी की ओर ईशारा करते हैं और कहते हैं कि यहीं नीचे ही हैं। हम तो वो दवाई भी भूल ही गये जो जंगल से मिलती थी। अपना ईलाज खुद करना जानते हैं।

पहले नीचे पांचवीं तक का स्कूल था। हम 1986 में यहां आये और उसके बाद 10 साल यहां कोई स्कूल नहीं था । 1997 से यहां पर स्कूल बना, लेकिन इस 10 साल में तो हमारी एक पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया ? आंगनवाड़ी भी बहुत बाद में बनी और वह भी ना के बराबर ही है। कभी खुलती है तो कभी नहीं। आवागमन के साधन के अभाव में जननी सुरक्षा योजना से लाभ मिलने का प्रश्न गैर वाजिब ही था लेकिन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां सभी प्रसव घरों में ही होते हैं ओर दाई के ना होने के कारण स्थानीय महिलायें ही कराती हैं। ऐसे में राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना का नाम आता है तो इससे लाभ लेने का प्रतिशत भी शून्य ही है।

सरकारी रिपोर्ट की ही मानें तो विस्थापन के बाद से परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि के स्थान पर मजूदरी रह गया है।[1] कृषि, बांस के सामान, किराना, लुहारगिरी जैसे व्यवसायों में गिरावट आई है जबकि मजदूरी, मत्स्याखेट, सब्जीभाजी, पशुपालन आदि में लोग संलग्न हैं। मजदूरी में अप्रत्याशित रुप से बढ़ोतरी हुई है। इसका असर इस गांव में भी देखने को मिलता है। इस गांव के 80 प्रतिशत लोग पलायन पर गये हैं। कोई जबलपुर में निर्माण मजदूरी कर रहा है तो कोई नरसिंहपुर में खेती की मजूरी करने गया है। इस गांव के नवयुवक अभी बाणसागर, खुडिया डेम में मछली मारने गये हैं । तीन से चार महीने मारेंगे। इस गांव में क्यों नहीं मारते हैं मछली ?? तो रछछू बरऊआ बीच में ही बात काटते हुये कहते हैं कि यहां रहेंगे तो भूखे मर जायेंगें ? एक तो मछली कम है और दूसरा ठेकेदार रेट भी नहीं दे रहा है। 18 रुपया किलो बिकती है जबकि शहर में यह दस गुना ज्यादा बिकती है। यानी हमें तो छैहर (मछली के ऊपर का छिलका) तक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। जबकि मेहनत पूरी हमारी ।

[1] रानी अवंती बाई सागर परियोजना के डूब से प्रभावित एवं विस्थापित ग्रामों तथा परिवारों का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, द्वारा डॉ. एन. के श्रीवास्तव (सहायक अनुसंधान अधिकारी), विशेष सहयोगी एम.एल. पिछोड़े (सहायक सांख्यिकी अधिकारी) । मध्यप्रदेश शासन 1988 ।

इसी गांव के सुनील की उम्र 30 हो रही है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। लड़की वाले कहते हैं कि हम अपनी लड़की को यहां मरने के लिये क्यों छोड़ें ? और फिर हमारे पास है ही क्या ? एक–दो साल कोशिश और कर लेते हैं, कुछ हो गया तो ठीक।

सरकार की तरफ से कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं की गई क्या ? या सरकार से आप लोगों ने मांग नहीं की क्या ? इस पर वे कहते हैं कि हमें तो अलग–अलग लोगों ने लूटा । पिछली साल कलेक्टर राव आये थे और उन्होंने कहा था कि तीन किश्ती लाई जायेंगी जो तीन गांवों के लिये होंगी। समिति के माध्यम से वह चलाई जायेंगी। फिर सभी हंसते हैं और कहते हैं कि समिति तो बन गई थी पर राव साहब ही चले गये। और आज तक नहीं आई किश्ती। यदि हम कलेक्टर की बातों में आ जाते और हमारे गांव की किश्ती नहीं हो तो हम तो यहीं मर जाते !!

पूरे देश में राजगार गारंटी की चर्चायें जोरों पर है । इस गांव में भी लोगों के जॉब कार्ड तो हैं लेकिन यहां पर पिछले तीन सालों से कोरे पड़े वे व्यवस्था को और 'काम के अधिकार' को चिढ़ा रहे हैं। जब उनसे रोगायो की बात कही तो वे कहते हैं कि हां कार्ड तो है लेकिन चूंकि उन्हें काम नहीं मिला है, इसलिये वे पक्का नहीं कह सकते हैं कि यही जॉब कार्ड है। वे शिवराज सिंह की फोटो वाले तीन कार्ड के साथ जॉब कार्ड भी लाते हैं। लेकिन अफसोस कि कार्ड तो सारे हैं परन्तु सभी कोरे के कोरे। काम ना मिलने की वजह यह है कि वैसे तो यह आबाद गांव है लेकिन सरकारी रिकार्ड में यह वीरान गांव है। शोभेलाल कहते हैं कि हमें यह नहीं पता है कि पहले का राजस्व गांव बढैयाखेड़ा, अभी फॉरेस्ट का है या इलीगेशन (ईरीगेशन) का है। इसी दुविधा के कारण आज भी लोगों के हाथ खाली हैं।

विस्थापितों को खाली पड़ी लगानी जमीन पर बसाओ

विस्थापितों का प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

नहीं मिली नाव

यहां पर आज भी बिजली नहीं है, लोग इस बात से आस बंधा रहे हैं कि खंभे तो आ गये हैं । पिछले 25 वर्षों में दूसरों को बिजली देने के कारण डूबे इन गांवों में आज भी अंधेरा है। यहां पर आजीविका का काई साधन नहीं है, लोग पलायन पर जा रहे हैं। यदि मजदूरी पर जाना भी है तो लोगों को 20 रुपये पहले अपने खर्च करने पड़ते हैं, महिलाओं के पास तो पिछले 25 वर्षों से घर काम के अलावा कोई काम ही नहीं हैं और यही कारण है कि यहां के नवयुवकों यहां से बाहर निकालने के लिये कलेक्टर को पत्र लिखा है। लोग इतने हताश हैं कि रछछू कहते हैं कि सरकार ने हमें डुबा तो दिया है, बस अब एक परमाणु बम और छोड़ दे तो हमारी यहीं समाधि बन जाये। तभी तो है यह ''विकास के विनाश का टापू।''

फोटो 1 – गांव की एक फोटो। फोटो 2 – दशरु पिता गोपाल
फोटो 3 – गांव के अन्य लोग जो कि बाहरी व्यक्ति के आने पर इस तरह से ही देखते हैं ।
फोटो 4 – गांव वालों के पास मिली पेपर कटिंग। (सभी फोटो – प्रशान्त दुबे)

काली चाय का गणित

जब बाँध बनने की बात होती थी तो हम लोग हंसते थे कि जिस नर्मदा माई को भगवान नहीं बाँध पाये और जो अमरकंटक से निकलकर कल–कल बहती ही रही है,उसे कौन बाँध सकता है ? और जब भगवान नहीं बाँध पाये तो नर्मदा विकास (प्राधिकरण) की क्या बिसात .....? मगर साहब हम गलत निकले, नर्मदा मैया बंध गई और हम उजड़ गये। एक स्टीम बोट की आवाज सुनकर वे कहते हैं कि लोग यहां पर घूमने आते हैं । सरकार और आम लोग इसे पर्यटन स्थल मानती है लेकिन यह हमारे गांव, हमारे घरों और हमारी जमीनों का समाधि स्थल है। जब–जब यह बोट हमारे घरों से गुजरती है, तो हमारी छाती जलती है । मगर क्या करें साहब ! सरकार है। सरकार की ही चलती है। हम तो बस वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं और फिर सरकार अपनी चलाती है। हम तो पुतरिया (कठपुतली) हैं, जैसा नचायेगी सरकार, वैसा नाचेंगे। तो यह बर्बादी का पर्यटन स्थल है, सरकार ने जीते जी हमारी कब्र खोद दी !!

साहब!! हम किसी को काली चाय नहीं पिलाते थे, पर क्या करें !! आज शर्म भी लग रही है आपको यह चाय पिलाते हुये। मजबूर हैं। दरअसल काली चाय जो आज बड़े लोगों के लिये स्वास्थ्य का सबब है किसी के लिये यह शर्म की बात भी है। आईये जाने क्या है इस काली चाय का गणित .....।

बहुत खेती थी। बहुत मवेशी थे। दूध दही था हमारे यहां। सुख–सुविधा थी। सुख से रहते थे। मेरी खुद की 20 एकड़ जमीन थी। धान, गेहूँ,, ज्वार, बाजरा, तिल्ली, मक्का सब उगाते थे साहब !! और अब .....। फिर वह मन ही मन कुछ बुदबुदाते हैं जैसे किस्मत को दोष दे रहे हो या फिर किसी को अपशब्द कह रहे हो। वह कहते हैं कि मेरा बुढापा ऐसे ही नहीं आ गया है। तीन–तीन बार अपने गाँव से, अपने–अपनों से बिछड़ने का नतीजा है ये। सरकार क्या करेगी या सरकार ने क्या किया ? जमीन का मुआवजा दे दिया, उसके अलावा हमारी अपने जडों का क्या ? यह कहानी बरगी बाँध से डूबे गाँवों में मगरधा गाँव के रामदीन पिता गोपाल की। रामदीन आज 62 वर्ष के है। यह कहानी अकेले रामदीन की नहीं बल्कि रामदीन जैसे एसे हजारों लोग है जो अपने आज और कल का गणित लगाते है और जीवन की इस धूप–छांव को महसूस कर रहे है।

मगरधा गाँव भी रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना के परियेाजना के कारण उजड़े अन्य 192 गाँवों की तरह वर्ष 1987 में उजडा़ । रामदीन कहते है कि जब बाँध बनने की बात होती थी तो हम लोग हंसते थे कि जिस नर्मदा माई को भगवान नहीं बाँध पाये और जो अमरकंटक से निकलकर कल–कल बहती ही रही है,उसे कौन बाँध सकता है ? और जब भगवान नहीं बाँध पाये तो नर्मदा विकास (प्राधिकरण) की क्या बिसात३३३ण्ण्? मगर साहब हम गलत निकले, नर्मदा मैया बंध गई और हम उजड़ गये। हालाकि नर्मदा माई को तो कभी भी कोई नहीं बांध पाया वह तो अभी भी रिसती ही है। मगर हम उजड़ गये !!!

हम तो इतने भोले थे साहब कि कुछ समझ ही नहीं पाये और बाँध में काम करने जाते रहे। वह कहते है कि हम यदि तब समझ जाते तो आवाज बुलंद करते।

जब आवाज बुलंद की तो बहुत देर हो चुकी थी। इस सवाल को पूछने पर कि यहाँ में क्या फर्क है? रामदीन बहुत ही भावुक हो जाते हैं और कहने लगते है कि क्या है यहां पर ? क्या नहीं था वहां पर। कुल मिलाकर सौ की सीधी एक बात मैया की गोद में हम सुख से रहते थे और आज नर्मदा मैया को देखकर दुख से रोते हैं, हमारी मालगुजारी ही दांव पर लग गई।

हमसे कहा गया था कि आपको 5 एकड़ जमीन मिलेगी । एक आदमी को नौकरी मिलेगी लेकिन यह सब तो जैसा कहा, वैसा ही रहा। एक भी आदमी को नौकरी मिली हो तो बताओ। इस बाँध के फायदों को लेकर वो कहते हैं कि इससे नीचे वालों को फायदा हुआ होगा, लेकिन हमें तो कुछ भी नही। यह तो वैसा ही है कि चार को मारो और 100 की भलाई। अब यह अलग बात है कि जिन चार को मारा गया, वे हम ही हैं।

रामदीन थोड़ा सोचते हुये कहते हैं कि साहब पहले परकम्मावासी (नर्मदा की परिक्रमा करने वाले लोग) आते थे, हमारे यहां रूकते थे । बहुत दान पुण्य करते थे हम। मगर अब तो उन्होने रास्ता ही बदल दिया। अब तो वे भी नहीं आते हैं। वे भी क्यों आयेंगे । अब हम लोगों भी तो सामर्थ्य नहीं रही उनको रखने की। वे भी किसके भरोसे आयेंगे ?? हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं अब। सीधे–सीधे कहें तो अब बखत भी नहीं रहीं हमारी।

यह बखत ना रहने का मामला इतना आसान भी नहीं है। बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े राजकुमार सिन्हा कहते हैं कि बांध बनने और अपनी के डूब जाने के चार–पांच वर्षों में ही लोग मनोवैज्ञानिक रुप से प्रभावित हुये और शुरुआती पांच–छः वर्षों में ही बहुतेरे लोगों की मौत हुई । वे इस त्रासद को स्वीकार नहीं कर पाये।

आप लोग अभी क्या करते हैं, इस विषय पर रामदीन कहते हैं कि साहब! दिन भर मैया को निहारते रहते हैं और फिर जंगल जाते हैं, लकड़ी काटें भी तो कितनी। एक गट्ठा काट कर लाये बेच दी, फिर रामभजन।

रामदीन कहते हैं कि हमने सुना था कि इससे बिजली बनेगी और भरपूर बिजली बनेगी। बांध भी बन गया, बिजली भी बनने लगी पर हमारे गांवों में तो आज भी अंधेरा है। हम तो आज भी बिजली का इंतजार ही कर रहे हैं। राशन दुकान से मिट्टी का तेल लाते हैं और तब जाकर रोशन होती हैं हमारी शाम । यानी यदि चिमनी का तेल ना हो तो पता नहीं क्या हो ?

इस बात को सुनकर वे बहुत ही भावविह्ल हो जाते हैं कि नर्मदा नदी पर और बड़े बांध बन रहे हैं तो वे कहते हैं कि इस शब्द का नाम मत लो । हमारे कान इस शब्द को नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान ने तो हमारी बखत खराब कर दी, हमें यह दिन दिखाया है। भगवान कभी किसी को यह दिन ना दिखायें। बहुत दुःख होता है साहब ! जब अपने हाथों से अपना घर तोड़ना पड़ता है। कभी किसी का घर ना तुड़वाये कोई ।

तभी अचानक जलाशय में आई एक स्टीम बोट की आवाज सुनकर वे कहते हैं कि लोग यहां पर घूमने आते हैं । सरकार और आम लोग इसे पर्यटन स्थल मानती है लेकिन यह हमारे गांव, हमारे घरों और हमारी जमीनों का समाधि स्थल है। जब–जब यह बोट हमारे घरों से गुजरती है, तो हमारी छाती जलती है । मगर क्या करें साहब ! सरकार है। सरकार की ही चलती है। हम तो बस वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं और फिर सरकार अपनी चलाती है। हम तो पुतरिया (कठपुतली) हैं, जैसा नचायेगी सरकार, वैसा नाचेंगे। तो यह बर्बादी का पर्यटन स्थल है, सरकार ने जीते जी हमारी कब्र खोद दी।

सरकारी रिकार्ड में हम वीरान हैं, हमारा कोई माई बाप नहीं । वनविभाग कहता है राजस्व की जमीन है, राजस्व कहता है वनविभाग की। हम तो बीच में झूल रहे हैं। इन दोनो विभागों के झमेले में हमारे बच्चों के लिये स्कूल नहीं बन पा रहा है। तीन बार पैसा आया और चला गया। सरकार ने हमारी वोटरलिस्ट तो बनाई है लेकिन हमारे माई–बाप बनने में उसे शर्म आती है शायद ! चुनाव के दिन तो पार्टी आने–जाने की व्यवस्था करती है लेकिन उसके बाद काई पूछता भी नहीं । हमारे यहां पर एकमात्र पहुंच मार्ग है लेकिन वह भी चार महीने के लगभग बंद रहता है, तब तो बस किश्ती ही सहारा है। यदि हम इसके बाद भी संघर्ष करते हैं तो सरकार हमसे कहती है कि अब हमारा काम खत्म हो गया। अरे भाई !! हम पूछते हैं कि सरकार ने किया ही क्या है जो उसका काम खत्म हो गया।

विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक (लगभग 20,000 वर्ष पुरानी) है नर्मदा की घाटी। नर्मदा यानी रामदीन की मैया, केवल अमरकंटक से निकलने वाली और तीन राज्यों में से गुजरती हुई गुजरात में अरब सागर में समा जाने वाली नदी नहीं है बल्कि यह तो मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी है। लेकिन इस नदी को बांधने की घृणित कोशिशें जारी हैं । इस नदी पर 3200 बांध बनाये जाने की योजना है। इसमें से तीन बड़े बांध होंगे, 135 मंझौले और बाकी होंगे छोटे बांध । यानी नर्मदा को जगह–जगह से छिन्न–भिन्न करके काटते रहने का षडयंत्र देखना आज की पीढ़ी का दुर्भाग्य है। यहां सवाल यह है कि क्या हमारे धुर विकास सर्मथक नर्मदा को एक नाले में तब्दील होते देखना चाहते हैं ? लेकिन इस विकास की कीमत कौन चुकायेगा ओर कौन चुका रहा है ?

आईआईपीए ने 54 बड़े बांधों का अध्ययन कर यह बताया कि औसतन एक बड़े बांध से विस्थापित होने वालों की संख्या 44182 है यानी लगभग 4 करोड़ लोग केवल बांध के कारण विस्थापित हुये हैं। तो और अन्य परियोजनाओं से विस्थापितों का क्या ? लेकिन सरकार के पास अपना कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। भोपाल की सामाजिक कार्यकर्ता रोली ने सूचना के अधिकार में यह जानकारी प्रदेश सरकार से मांगी तो सरकार का हास्यास्पद बयान यह आया कि ''पुर्नवास विभाग का काम यह पता लगाना ही नहीं है'' । सूचना आयोग ने फटकार लगाई और अंततः सरकार अब

यह कर रही है । यह सवाल ही बुनियादी आधार है यह सिद्ध करने का कि सरकार किस हद तक गंभीर है बांध बनाने और प्रभावितों के पुर्नवास की ।

यह केवल इस बांध का मामला नहीं है लेकिन यदि बाकी और बांधों की बात की जाये तो सरकरी गंभीरता हमारे समक्ष है। लेकिन इसका खामियाजा रामदीन जैसे लोग भुगतते हैं। जरा फिर रामदीन की और आते हैं तो वे कहते हैं कि

रहने दो साहब !! लंबी कहानी है । लेकिन हम यह बांध नाम का शब्द अब दुबारा नहीं सुनना चाहते हैं । माफ करना साहब, आपको काली चाय पिलाई हमने.....। पहले आते तो हम आपका वो स्वागत करते कि पूछो मत ! और उनके चेहरे पर फिर चमक आ जाती है। राम राम साहब माफ करना !!!

हाथ कटाने को तैयार ?

काम के अभाव में यहां के लोगों का पलायन जारी है। खामखेड़ा के बीरनलाल कहते हैं कि पहले तो हमें डुबो कर मार ड़ाला, अब काम ना देकर मार ड़ालेगी ये सरकार !! पेट के बच्चे तक के लिये यहां पर योजनायें हैं लेकिन हम क्या विदेशी हैं, आतंकवादी हैं ? या सरकार हमें आतंकवादी बनाना चाहती है । जॉब कार्ड रखे–रखे बरसों हो गये है। पर काम नहीं मिला। बढ़ैयाखेड़ा के माहू ढ़ीमर कहते हैं कि जब काम नहीं, आने–जाने का रास्ता नहीं दे सकती सरकार तो केवल एक काम करे कि परमाणु बम और छोड़ दे । ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वहीं बढ़ैयाखेड़ा के ही नवयुवक संतोष कहते हैं कि सरकार इन हाथों को काम नहीं दे सकती है तो फिर इन हाथों को कटवा क्यों नहीं देती है।

जबलपुर जिले के बींझा के गोपाल भाई जो कभी 25 एकड़ के किसान थे, का बेटा आज जबलुपर में रिक्शा चलाता है। मगरध गांव के 20 नवयुवक मेघालय/सूरत/तमिलनाडु में काम करने गये हैं। खामखेड़ा गांव खाली पड़ा है, वहां के रामस्वरुप, प्रहलाद, रामकिशन, गणेश, राजकुमार, रमेश और सुरेश सभी काम की तलाश में नरसिंहपुर गये हैं। खमरिया के नवयुवक और अधेड़ काम की तलाश में सिक्किम गये हैं। कठौतिया गांव से लोग हवेली गये हैं। आखिर क्या कारण है कि इन गांवों से लोग 1500 किलोमीटर दूर काम की तलाश में भटक रहे हैं।

इसकी कहानी बड़ी निराली है । 1974 से बनना शुरु हुआ बरगी बांध तो प्रभावित हुये तीन जिलों मंड़ला, सिवनी और जबलपुर के 162 गांव। ज्ञात हो कि रानीं अवंतीबाई परियोजना अंर्तगत् नर्मदा नदी पर बने सबसे पहले विशाल बांध बरगी से मंड़ला, सिवनी एवं जबलपुर जिले के 162 गांव प्रभावित हुये हैं और जिनमें से 82 गांव पूर्णतः डूबे हुये हैं। उसमें से भी जबलपुर जिले के 19 गांव पूरी तरह से डूबे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7000 विस्थापित परिवार हैं, इनमें से 43 प्रतिशत आदिवासी,12 प्रतिशत दलित, 38 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 7 प्रतिशत अन्य हैं। अब जब ये गांव डूबे तो फिर यह दूसरी जगह बसे । तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि ऊंची जगह जाकर बस जाओ। तो जिन्हे जितनी ही दूर पर टेकरी मिली वो उतनी ही दूर बस गये । उस समय की पुर्नवास नीति में तो यह प्रावधान ही नहीं था कि जमीन के बदले जमीन दी जायेगी। हालांकि यह एक अलग बहस का विषय है कि आज यह प्रावधान होने के बाद भी जमीन नहीं मिलती है । बहरहाल यह हुआ कि सभी 19 गांव के बाशिंदों को जहां जगह मिली, वहां पर वे बस गये। जिस गांव का जो नाम था वही इस गांव का नाम हो गया। यानी परिवर्तन स्थान में भर हुआ। लेकिन गांव वालों का कहना है कि हमें नहीं मालूम था कि हम इंदिरा गांधी और प्रशासन की बात मानकर गलती कर रहे हैं ।

क्र.	गांव का नाम	पंचायत	परिवार संख्या (लगभग)
1	भिरकी	मगरधा	12
2	कठौतिया	मगरधा	55
3	मगरधा	मगरधा	62
4	बढैयाखेड़ा	मगरधा	25
5	खमरिया	मगरधा	16
6	खामखेड़ा	मगरधा	14
7	गगंदा	तुनिया	65
8	बींझा	तुनिया	63
9	तुनिया	तुनिया	24
10	धुल्लापाठ	तुनिया	77
11	हरदुली	हरदुली	506
	कुल		**919**

आज खामखेड़ा वनग्राम है लेकिन जब हम वनविभाग से इस बात की तस्दीक करते हैं तो वह कहते हैं कि यह वनग्राम नहीं है, यह तो राजस्व ग्राम है और जब यही बात राजस्व ग्राम से पूछें तो पता चलता है कि यह तो वनग्राम है। इन सबसे मजेदार तो यह है कि सरकारी रिकार्ड में यह गांव तो वीरान गाव है। लेकिन खामखेड़ा ऐसा अकेला गांव नहीं है बल्कि खामखेड़ा जैसे लगभग 1व गांव और है जो वीरान हैं। इनके वीरान भर कह देने से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये लोग कैसे प्रभावित हैं ? सबसे पहले तो इनके सामने अपनी पहचान का संकट है। ये गांव पंचायत में तो है लेकिन वीरान गांव में है।

वैसे तो मध्यप्रदेश के सरकारी रिकार्ड में 55393 गांव दर्ज हैं और उनमें से भी 52143 गांव आबाद गांव हैं। यानी बाकी बचे 3250 गांव वीरान गांव हैं । लेकिन जबलपुर जिले के 11 वीरान गांव कुछ खास हैं । और इन वीरान गांवों में खास यह है कि वह वीरान नहीं हैं ? इन वीरान गांवों में बसते हैं लगभग 919 परिवार। सवाल यही है कि यदि इनमें लोग बसते हैं तो फिर यह वीरान गांव कैसे ? ओर यदि इन्हीं का नाम वीरान है तो फिर बाकी गांवों को भी जांचना जरुरी है।

वैसे तो पूरे देश में राजगार गारंटी योजना की धूम मची है और यह रोजगार गारंटी का पांचवां वर्ष है लेकिन इस वर्ष में यहां पर तो रोजगार गारंटी योजना मुंह चिढ़ा रही है। इन 11 गांवों के लोगों द्वारा कई बार काम मांगे जाने पर भी इन्हें काम नहीं मिलता है। कारण यही कि यह सभी ग्राम वीरान गांव हैं और यह अभी राजस्व गांव है या वन गांव । इसका फैसला अभी होना बाकी है। वैसे जबलपुर जिले में रोजगार गांरटी योजना अप्रैल 2008 में आई । उसके बाद यानी लगभग तीन वर्षों से यह लोग काम के लिये लगाातार आवेदन दे रहे हैं लेकिन किसी को कोई भी काम नहीं मिला है। पंचायत ने भी अपनी ओर से कई आवेदन दिये हैं । तुनिया पंचायत के सरपंच श्री सुक्कु पटैल कहते हैं कि हमने तो अपनी ओर से ओवदन दिये हैं लेकिन ऊपर से काम नहीं आता है, कहते हैं कि रिकार्ड में नहीं है। हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो प्लॉन बना कर भिजा सकते हैं। मगरधा पंचायत के कठौतिया गांव के विजय सिंह पंच हैं और कहते हैं कि मैंने खुद पंचायत में विशेष ग्रामसभा के माध्यम से हमारे गांव की योजना बनाई है लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि यह तो वीरान गांव है। पूछने पर कहते हैं कि यहां काम नहीं हो सकता है। विजय कहते हैं कि जब काम नहीं देना था तो जॉब कार्ड क्यों बना दिये ? केवल नाम के लिये !!!!

काम के अभाव में यहां के लोगों का पलायन जारी है। खामखेड़ा के बीरनलाल कहते हैं कि पहले तो हमें डुबो कर मार ड़ाला, अब काम ना देकर मार ड़ालेगी ये सरकार। पेट के बच्चा तक के लिये यहां पर योजनायें हैं लेकिन हम क्या विदेशी हैं, आतंकवादी हैं ? या सरकार हमें आतंकवादी बनाना चाहती है । जॉब कार्ड रखे–रखे बरसों हो गये है। बढ़ैयाखेड़ा के माहू ढ़ीमर कहते हैं कि जब काम नहीं, आने–जाने की रास्ता नहीं दे सकती सरकार तो केवल एक काम करे कि परमाणु बम और छोड़ दे । ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वहीं बढ़ैयाखेड़ा के ही नवयुवक संतोष कहते हैं कि सरकार इन हाथों को काम नहीं दे सकती है तो फिर इन हाथों को कटवा क्यों नहीं देती है। ज्ञात हो कि 1 साल पहले यहां के नवयुवकों ने कलेक्टर से जिलाबदर करने की गुहार की थी।

बरगी बांध एवं प्रभावित संघ से जुड़े राजेश तिवारी कहते हैं कि इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। सरकार को वोट चाहिये तो लोगों के मतदाता परिचय पत्र हैं, बीपीएल में और राशनकार्ड भी बनवा दिये हैं लेकिन जब लोगों के पास काम ही नहीं है तो फिर वे खरीदेगे क्या ? और खायेंगे क्या ? जॉब कार्ड भी बनवा दिये गये हैं लेकिन लोगों के पास काम नही है। यह एक राजनीतिक सवाल भी है । उन्होंने कहा कि यह लोगों के काम के अधिकार के हनन के साथ–साथ लोगों के जीवन के अधिकार का भी हनन है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस मामले को शीघ्र निपटा लिया जायेगा। सवाल फिर वही है कि पिछले वर्ष जब तत्कालीन कलेक्टर हरिरंजन राव कठौतिया के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द लोगों को काम मिल जायेगा । लेकिन यह लोग आज भी काम की तलाश में भटक रहे हैं।

मैं तो यहां पर नई आई हूं । मुझे नहीं मालूम क्या कारण है लोगों को काम नहीं मिलने का ? वैसे ये लोग खुद काम करते नही है। अब हमारे नॉलेज में यह मुद्दा आया है तो हम दिखवाते हैं।

प्रतिभा परते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, जबलपुर

अव्वल तो यही है कि यह लोग बरगी बांध के कारण विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। लेकिन आज काम के अभाव में पलायन करने को मजबूर हैं । एक ओर तो पूरे देश में रोजगार गारंटी की धूम मची है लेकिन यहां के लोग काम के अभाव में अपने हाथ कटाने को मजबूर हैं। यहां सरकार के अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त बी.के.मिंज की रिपोर्ट का हवाला देना उचित होगा जिसमें उन्होंने कहा था

कि सरकार ने यहां पर लोगों को मरने के लिये छोड़ दिया है। सोचनीय यह है कि सरकार स्वयं कहती है कि लोग यहां मर रहे हैं तो सरकार ही बताये कि वह इन लोगों के लिये सम्मान के साथ जीने का जतन कब करेगी ?

जब इस मुद्दे पर जबलपुर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रतिभा परते कहती हैं कि मैं तो यहां पर नई आई हूं । मुझे नहीं मालूम क्या कारण है लोगों को काम नहीं मिलने का ? वैसे ये लोग खुद काम करते नही है। अब हमारे नॉलेज में यह मुद्दा आया है तो हम दिखवाते हैं। लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि लोगों ने तो रोजगार गारंटी के प्रावधानों के अंर्तगत् ही काम मांगा है और सरकार ने ही काम उपलब्ध नहीं कराया है तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या ? यानी सरकारी कारिंदे कितनी आसानी से गांववालों को और आमजनों को धोखे में रखते हैं और व्यवस्था का खेल खेलते रहते हैं। कार्यपालन अधिकारी को तो यह भी नहीं पता है कि उनके विकासखंड़ के किन्हीं 11 गांवों को मनरेगा आने के बाद पिछले पांच वर्षों में एक भी दिन का काम नहीं मिला है।

व्यवस्था पर एक करारा चोट यह भी है कि पिछले 22 वर्षों से 11 गांवों के बाशिंदे केवल यह सिद्ध करने में लगे हैं कि हम वीरान गावं में नहीं बल्कि आबाद गांव में बसते हैं। और इसका खामियाजा उन्हें ऐसे भुगतना पड़ रहा है कि काम का अधिकार कानून लागू हो जाने के बाद भी आज तक उनके पास काम नहीं है। इन गांवों के नौजवान पलायन कर रहे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। वो सरकार से यह मांग कर चुके हैं कि हमें जिलाबदर कर दे लेकिन सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। इस सारी स्थितियों के बीच वे यही कहते हैं कि सरकार काम नहीं दे सकती है तो हाथ क्यूं नहीं काट देती है।

कैसे कहें यह राष्ट्रीय तीर्थ है .....!!!

कल एक बांध तो देखा तो कसक जाग उठी ।

एक तीर्थ बनाने में कितने घर डूबे होंगे ।।

कौन मरा, कौन जिया, किसकी जमीनें डूबीं, कोई बहीखाता नहीं है यहां ।

आज कौन है, कहां हैं, कोई नहीं जानता ।

पर कल रिक्शा चलाते मिला था, एक आदमी सतना की सड़कों पर ।

कुरेदा तो बताया कि बरगी से आया हूं।

वो तो आज भी रहते हैं अंधेरे में ही

जिनके दम पर रोशन हैं, हमारी और आपकी दुनिया।

दृश्य 1

साहब हम यहां पर रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे यहां पर आने–जाने का भी साधन नहीं है । हम आजाद होकर भी कैदियों सी जिंदगी जी रहे हैं। हमें कहीं भी जाना है तो केवल डोंगी ही सहारा है। यहां पर कोई काम भी नहीं है। बढ़ैयाखेड़ा, कठौतिया आदि गांवों ने तत्कालीन कलेक्टर हरिरंजन राव को सन् 2008 में पत्र लिखकर जिलाबदर करने की गुजारिश की थी ।

दृश्य 2

बरगी बांध बना तो गागंदा गांव डूब गया और गागंदा से खुरसी आये दिलीप पटैल। मुआवजे की राशि और कुछ जमा पूंजी से खरीदी 20 एकड़ जमीन । अब लगा ही था कि जिंदगी पटरी पर आ गई है कि नहर खुदाई का काम शुरु हो गया और इनकी साढ़े चार एकड़ जमीन नहर में चली गई। सरकार ने कहा कि मुआवजा देंगे पर अभी तक तो नहीं मिला ! लगभग 10 वर्ष हो गये राह तकते–तकते। नहर बन गई तो सोचा समृद्धि आ जायेगी। पर ये क्या ! नहर बनी और तकनीकी खराबी के कारण पानी का रिसाव होना शुरु हो गया। अब इनकी 8 एकड़ जमीन में नहर के सीपेज का पानी भरा है। दो साल पहले इसके लिये भी उच्च न्यायालय गये ? वहां पर एसडीएम ने लिखित में दिया कि मुआवजा देंगे पर आज तक यह भी नहीं मिला। यह अकेली दिलीप की कहानी नहीं बल्कि प्रमोद गोस्वामी की भी 4 एकड़ में लगी मसूर की फसल पानी में हो गई । लगभग 200 हेक्टेयर की जमीन में पानी भरता है। 4 फरवरी 2011 को तो यह पूरी नहर ही फूट गई और 700–800 एकड़ के खेतों में पानी भरा है, पूरी फसल चौपट हो गई।

दृश्य 3

जबलपुर जिले के 11 गांव आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रह हैं। खामखेड़ा गांव में केवल इसलिये स्कूल नहीं बन पाया क्योंकि डूब के बाद वह गांव किसी भी रिकार्ड में नहीं है फिर चाहे वह वन विभाग का रिकार्ड हो या फिर राजस्व का। और दोनों विभागों की इस लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे हैं इस गांव के 27 नौनिहाल। यहां शिक्षक की जिजीविषा ही है कि वे उनके घर में पढ़ पा रहे हैं। दो बार पैसा स्वीकृत हुआ क्रमशः डेढ़ और ढ़ाई लाख । दोनो ही बार वापिस चला गया। क्योंकि विभाग तैयार नहीं थे यह बताने को कि यह गांव आखिर में है तो है किस सीमा में !! सर्वशिक्षा अभियान यहां मुंह चिढ़ा रहा है।

दृश्य 4

रोजगार गारंटी कानून के आने के 5 साल बाद भी जबलपुर जिले के 11 गांवों के लोगों को आज तक एक भी दिन का काम नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि इन्होंने काम की मांग नहीं की, बल्कि काम तो कई बार मांगा लेकिन सरकार ने काम केवल इसलिये नहीं दिया क्योंकि ये गांव अस्तित्वविहीन है। इसका खामियाजा यह हुआ कि यहो के नवयुवक काम की तलाश में 1500 किलोमीटर दूर सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु पलायन करके जाते हैं । यहां काम का अधिकार मुंह चिढ़ा रहा है।

दृश्य 5

आदिवासी विकास के संभागीय उपायुक्त श्री एस.के.सिंह की 1998 में तैयार की गई रिपोर्ट इससे इतर बात करती है कि विस्थापन के बाद परिवारों का मुख्य व्यवसाय अब कृषि के स्थान पर अब मजदूरी रह गया हैं । कृषि, बांस के सामान, किराना, लुहारगिरी जैसे व्यवसायों में गिरावट आई है जबकि मजूदरी, अनाज, व्यापार, मत्स्याखेट, सब्जीभाजी, पशुपालन आदि में लोग संलग्न हैं। मजदूरी जैसे व्यवसाय में डूब के पश्चात् भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है।

दृश्य 6

हर साल 15 दिसम्बर को जलाशय का जलस्तर 418 मीटर करने का निर्णय हुआ ताकि खुलने वाली 6000 हैक्टेयर भूमि का 3500 खातेदार उपयोग कर सके लेकिन इस वर्ष से सरकार ने वह भी बंद कर दिया। लोग खेती के लिये इंतजार ही करते रह गये ।

दृश्य 7

लगता है बांध बनाने के बाद सरकार ने लोगों को मरने के लिये छोड़ दिया है। यह अनुसूचित जाति जनजाति विकास अभिकरण के तत्कालीन क्षेत्रीय अपर आयुक्त बी.के.मिंज द्वारा विस्थापन के बाद की स्थितियों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट का अंश है।

दृश्य 8

प्रदेश के सतना रेल्वे स्टेशन पर साईकिल रिक्शा चलाने वाले अधिकांश अधेड़ बरगी परियोजना के विस्थापित हैं, जो पहले किसान थे। उड़ीसा के झारसुगड़ा रेल्वे स्टेशन पर उड़िया भाषा सीखकर भीख मांगने वाला मंगलम् कोई और नहीं, बरगी बांध परियोजना से विस्थापित मंगल है।

ये समस्त दृश्य मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी पर बने पहले बड़े बांध रानी अवंतीबाई परियोजना यानी बरगी बांध के प्रभावित गांवों के हैं। जिसके बाशिंदे तब डूब के कारण जीते जी मारे गये और अब तिल–तिल कर मर रहे है। इन दृश्यों का हमसे सामना कराने वाली इस परियोजना पर भी तो नजर ड़ालें कि आखिर इसने दिया क्या और लिया क्या ? बरगी बांध से मंडला, सिवनी एवं जबलपुर के 162 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 82 गांव पूर्णतः डूब गये है। लगभग 12 हजार परिवार विस्थापित हुए है। जिसमें 70 प्रतिशत आदिवासी (गोंड) हैं। इस परियोजना में 14872 हैक्टेयर खातें की तथा 11925 हेक्टेयर जंगल एवं अन्य भूमि डूब में आई है। उक्त खाते की भूमि का रूपये 16.61 लाख मुआवजा भुगतान किया गया तथा पुनर्वास नीति के अभाव में लोगों का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। 1974 से परियोजना का कार्य प्रारंभ होकर 1990 में जलाशय का गेट बंद किया गया।

क्र.	शीर्ष	मूल योजना	वर्तमान स्थिति
1.	सिंचाई	बाईं तट नहर से 1.57 लाख है. दाईं तट नहर से 2.45 लाख है.	30 हजार हैक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्माणाधीन
2.	विद्युत	105 मेगावाट	90 मेगावाट मुख्य टरबाईन 10 मेगावाट बाईं नहर से
3.	मत्स्य उत्पादन	325 टन	300 टन
4.	जल आपूर्ति	127 एमडीजी जबलपुर शहर को	न्हीं
5.	अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन	10 लाख टन	नहीं
6.	पुल	एन.एच. 7 नर्मदा पर हाइवे पुल	पूर्ण
7.	पर्यटन विकास	रिसोर्ट	पूर्ण

82 गांवों को डुबाने और 12000 परिवारों को विस्थापित कराने वाली इस परियोजना में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना नामक इस मूल परियोजना की प्रारंभिक लागत 64 करोड़ रूपये की थी जो कि वर्ष 2009–2010 में लगभग 25 गुना बढ़कर 1514.89 करोड़ हो गयी है। 1997 में बरगी व्यपवर्तन परियोजना (बरगी दाईं तट नहर) की अनुमानित लागत 1100 करोड़ की थी जो 2009–2010 में 4281.55 करोड़ हो गयी है एवं पुनरीक्षित बजट 5127 करोड़ किया गया है । जबकि इस योजना ने अभी तक क्या दिया। इस योजना के मूल लक्ष्यों और वर्तमान उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार है ।

बरगी बांध मूलतः सिंचाई परियोजना है परन्तु बांध बनने के 20 वर्ष बाद भी अभी तक नहरों को पूरा नहीं बनाया गया है। अभी तक मात्र 30 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता विकसित की गयी है। परन्तु सिंचाई इससे भी कम हो रही है। दूसरी ओर बरगी बांध का पानी उद्योगों को देने की तैयारी की जा रही है । सिवनी जिले में झाबुआ थर्मल पावर प्लांट हेतु बरगी जलाशय का पानी देने की अनुमति दे दी गयी है एवं मंडला जिले में चुटका में 2800 मेगावाट परमाणु बिजली–घर हेतु बरगी जलाशय को पानी सुरक्षित रखने का कार्यक्रम बन रहा है। अन्य उद्योगों को भी बरगी जलाशय का पानी दिया जा सकता है। सिंचाई के नाम पर बांध बनाकर उद्योगों को पानी देना इन परियोजनाओं का असली उद्देश्य मालूम होता है। जिस बिजली बनाने की दुहाई सरकार देती रही है, बिजली बनने भी लगी लेकिन जिन गांवों को उजाड़ा गया है उनमें से कई गांव आज भी अंधेरे में है।

सरकार इस बांध से पर्यटन को बढ़ावा देने में लगी है, तभी तो परियोजना की मूल शर्तों को छोड़कर सरकार ने पर्यटन विकास के लिये रिसोर्ट बना दिया गया है। पर्यटकों को आवाजाही में

परेशानी ना हो इसलिये पुल भी बना दिया गया है। मोटर बोट और क्रूज भी चलने लगे हैं । लेकिन खामखेड़ा के रामदीन कहते हैं कि सरकार और आम लोग इसे पर्यटन स्थल मानते हैं लेकिन यह हमारे गांव, हमारे घरों और हमारी जमीनों का समाधि स्थल है। जब–जब यह बोट हमारे घरों से गुजरती है, तो हमारी छाती जलती है । मगर क्या करें साहब !! सरकार है। सरकार की ही चलती है। हम तो बस वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं और फिर सरकार अपनी चलाती है। हम तो पुतरिया (कठपुतली) हैं, जैसा नचायेगी सरकार, वैसा नाचेंगे। तो यह बर्बादी का पर्यटन स्थल है, सरकार ने जीते जी हमारी कब्र खोद दी !!!

विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक (लगभग 20,000 वर्ष पुरानी) है नर्मदा की घाटी। नर्मदा यानी अमरकंटक से निकलने वाली और तीन राज्यों में से गुजरती हुई गुजरात में अरब सागर में समा जाने वाली नदी नहीं है बल्कि यह तो मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी है। लेकिन इस नदी को बांधने की घृणित कोशिशें जारी हैं । इस नदी पर 3200 बांध बनाये जाने की योजना है। इसमें से तीन बड़े बांध होंगे, 135 मंझौले और बाकी होंगे छोटे बांध । यानी नर्मदा को जगह–जगह से छिन्न–भिन्न करके काटते रहने का षडयंत्र देखना आज की पीढ़ी का दुर्भाग्य है। यहां सवाल यह है कि क्या हमारे धुर विकास सर्मथक नर्मदा को एक नाले में तब्दील होते देखना चाहते हैं ? लेकिन इस विकास की कीमत कौन चुकायेगा ओर कौन चुका रहा है ?

यह कैसा विकास,जिसके साथ विनाश .....!!

बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े राजकुमार सिन्हा कहते हैं कि जो विश्लेषण आप लोगों ने किया है वही हम या परियोजना से प्रभावित लोग करते हैं । अपनी बेहतरी के लिये संघर्ष करते हैं, तो सरकार कहती है कि यह लोग विकास विरोधी हैं। सवाल फिर वही यह कैसा विकास !! जिसके ढ़ाचें में ही विनाश समाहित है।

आईआईपीए (इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज) ने 54 बड़े बांधों का अध्ययन कर यह बताया कि औसतन एक बड़े बांध से विस्थापित होने वालों की संख्या 44182 है यानी लगभग 4 करोड लोग केवल बांध के कारण विस्थापित हुये हैं। तो और अन्य परियोजनाओं से विस्थापितों का क्या ? लेकिन सरकार के पास अपना कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। भोपाल की सामाजिक कार्यकर्ता और सहलेखक रोली ने सूचना के अधिकार में यह जानकारी प्रदेश सरकार से मांगी तो सरकार का हास्यास्पद बयान यह आया कि ''पुर्नवास विभाग का काम यह पता लगाना ही नहीं है'' । आयोग ने फटकार लगाई और अंततः सरकार अब यह कर रही है । यह सवाल ही बुनियादी आधार है यह सिद्ध करने का कि सरकार किस हद तक गंभीर है बांध बनाने और प्रभावितों के पुर्नवास की ।

2010 बड़े बांधों की 50 वीं सालगिरह का वर्ष है। बरगी या बड़े समस्त बांधों ने हमें एक बार फिर सोचने को विवश किया है कि यह कैसा विकास है ? या फिर किसकी कीमत पर किसका विकास ? या अधिक विनाश के साथ विकास ? हम सोचें कि यह बरसी है या सालगिरह । बरगी बांध के लिये जब आप जबलपुर की ओर से आते हैं तो आपका स्वागत करते हुये एक बोर्ड लिखा है कि यह बांध हमारा राष्ट्रीय तीर्थ है । इन दृश्यों और परियोजना की चीरफाड़ के बाद आप तय करें कि कैसे इसे कहें कि यह हमारा राष्ट्रीय तीर्थ है। यह हमारे लिये राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिये कि सरकारें लोगों को उजाड़कर उनका पुर्नवास न कर उन्हें मरने के लिये छोड़ देती है और यह हम नहीं कहते स्वयं सरकार (बी.के.मिंज रिपोर्ट) कहती है।